कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–......932/.......   दिनांकः–......06.04.....2018

बन्दोबस्ती सूचना

रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बनस तालाब के रख–रखाव एवं मछली पालन हेतु निविदा दिनांक 27.04.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का निष्पादन दिनांक 28.04.2018 को अपराह्न 4.00 बजे खुली डाक के द्वारा किया जायेगा एवं अधिकतम बोली वाले के साथ तालाब की बन्दोबस्ती की जायेगी। तालाब बन्दोबस्ती हेतु वार्षिक सुरक्षित राशि 25,000/–रू0 (कर अतिरिक्त) निर्धारित है। बन्दोबस्ती राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जायेगी। बन्दोबस्ती की शर्तें निम्न प्रकार से है :–

1 आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2018 से 26.04.2018 तक 500/–रू0 जमा कर बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
2 बन्दोबस्ती 03 वर्ष तक के लिए 01.05.2018 से 30.04.2021 तक के लिए होगी।
3 निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
4 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 5,000/–रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
5 डाक के प्रथम वर्ष की राशि एक मुश्त जमा करना होगा एवं शेष दो वर्षों की राशि वर्ष के प्रथम माह में जमा करना होगा।
6 उच्चतम डाक वक्ता की राशि को जमानत की राशि से समायोजित की जायेगी।
7 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
8 उच्चतम डाक वक्ता को मतस्य बीज की प्राप्ति का श्रोत से अवगत कराना होगा।
9 बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
10 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 तालाब एवं इसके आस–पास क्षेत्रों में निर्मित संरचना का रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

13 यह हर संभव प्रयास किया जायेगा कि तालाब प्रदुषित नहीं हो।

14 तालाब में आयोजित होने वाली पर्व–त्योहार को बाधित नहीं किया जाय।

15 किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करनें का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।